कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 (1) रसद / खाद्य सुरक्षा / आवंटन / 2015–16 / 1215-31   दिनांक : 18 / 06 / 2015

उप आवण्टन आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

खाद्य विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 13 (3) खा.वि. / आवंटन / खाद्य सुरक्षा / 2015 दिनांक 12 / 06 / 2015 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु जिले को **माह जुलाई, 2015 से सितम्बर, 2015 तक के लिए प्रतिमाह 8668 एम.टी.** गेहूं का आवंटन प्राप्त हुआ है। माह जून, 2015 मे आवंटित गेहूं के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों को वितरण के बाद थोक संस्थाओं के पास 2139 एम.टी गेहूं स्टॉक में रहता है। थोक संस्थाओं के पास स्टॉक का विवरण निम्नानुसार है :–

1. राजस संघ – 862 एम.टी.
2. क.वि.स.स. बांसवाडा – 885 एम.टी.
3. क.वि.स.स. गढी – 171 एम.टी.
4. उपभोक्ता थोक भण्डार – 221 एम.टी.

पंचायत समितियों एवं शहरी निकायों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार जिले में खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र परिवार की संख्या 3,57,103 है एवं इनकी युनिट 16,63,371 है।

अतः माह जुलाई 2015 के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत **अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं ए.पी.एल के चयनित पात्र परिवारों हेतु** थोक विक्रेतावार / पंचायत समिति वार आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है:–

बी.पी.एल., स्टेट बी पी एल, अन्त्योदय एवं ए.पी.एल. के पात्र परिवारों हेतु माह जुलाई 2015 हेतु आवंटन

(मात्रा एमटी)

नाम थोक विक्रेता	पंचायत समिति	अन्त्योदय कार्ड	35 किलो प्रति राशनकार्ड से आवंटन	बीपीएल कार्ड	स्टेट बी.पी.एल कार्ड	ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवार	कुल परिवार (5+6+7)	कुल युनिट	आवंटन	वितरण हेतु आवश्यक मात्रा (4+10)	एफ.सी.आई. से उठाव हेतु आवंटित मात्रा	पूर्व के स्टॉक से आवंटित मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
राजस संघ, बांसवाडा	कुशलगढ	4978	972	9865	6580	7549	23994	123233	616	3708	3550	158
	सज्जनगढ	6899		9228	7090	15286	31604	140419	702			
	न.पा.कुशल.	729		25	0	852	877	2960	15			
	आनन्दपुरी	5971		16713	4729	3975	25417	115647	578			
	बागीदौरा	9230		0	0	0	36876	165063	825			
	योग	**27807**		**35831**	**18399**	**27662**	**118768**	**547322**	**2736**			
केवीएस एस बांसवाडा	न.प. बांस.	4020	572	518	0	9657	10175	46296	231	2438	2100	338
	तलवाडा	8432		16865	6478	28860	52203	237524	1188			
	छोटी सरवन	3894		8781	3197	7258	19236	89455	447			
	योग	**16346**		**26164**	**9675**	**45775**	**81614**	**373275**	**1866**			
केवीएसएस गढी	गढी	**7665**	**268**	**17473**	**7390**	**18809**	**43672**	**216358**	**1082**	**1350**	**1450**	**0**
उ.थोक भण्डार,	घाटोल	**10769**	**377**	**22287**	**7607**	**20586**	**50480**	**229684**	**1148**	**1525**	**1568**	**0**
	महायोग	**62584**	**2189**	**101755**	**43071**	**112832**	**294537**	**1366639**	**6832**	**9021**	**8668**	**496**

खाद्य विभाग के उपरोक्त आवंटन आदेश के अनुसार जुलाई, 2015 हेतु आवंटित गेहूँ की उपरोक्त मात्रा का उठाव पूर्व माह कि अन्तिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अवशेष गेहूं थोक विक्रेता अपने स्टॉक में सुरक्षित रखेंगे।

इस सम्बन्ध में निम्ननुसार निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी :–

1. अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम गेहूं 2 रू. प्रतिकिलो की दर से वितरण किया जावेगा।
2. खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत बी.पी.एल. व स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 2 रू. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जावेगा।
3. ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवारों को 2 रू. प्रति किलोग्राम की दरें से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जावेगा।
4. थोक विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकानवार आवंटित गेहूं की सूची पृथक से दी जा रही है। इसके अनुरूप ही खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. गेहूँ का वितरण कार्य नये डीजिटल राशन कार्ड के आधार पर ही किया जावेगा।
6. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम में आवंटित खाद्यान्न की राशि जमा कर रिलिज़ ऑर्डर प्राप्त करेंगे।
7. प्रबन्ध खा.ना. आपूर्ति निगम लि. बॉसवाड़ा एवं समस्त थोक विक्रेता खाद्यान्न का उढाव करते समय फैयर एवरैज क्वालिटी का गेहूँ भौतिक रूप से देख कर ही लेंगे। नियमानुसार सैम्पल लिया जावेगा। खराब क्वालिटी गैहूँ का उढाव नही किया जावेगा।
8. यदि थोक विक्रेता द्वारा किसी उचित मूल्य दुकानदार को खराब गेहूँ की आपूर्ति करता है तो उसका वितरण उपभोक्ताओं में नही किया जावे तथा थोक विक्रेता खराब गेहूँ को अपने स्तर से बदलेगा।
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को पाबन्द किया जावें कि उनके द्वारा आंवटित माह का खाद्यान्न पूर्व माह की 25 तारीख तक (जुलाई हेतु 25 जून तक) उठाया जावें। यदि किन्ही उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा निर्धारित तिथि तक थोक विकेताओं के वहां राशि जमा कर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है, तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
10. किसी भी उपभोक्ता को एक से अधिक योजनाओं में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
11. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक थोक विक्रेता से प्रतिदिन उठाव व वितरण की सूचना प्राप्त कर रेण्डम आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति किये जाने वाले गेहूं का भौतिक सत्यापन करेंगे। समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक अपने क्षेत्र में गेहूं वितरण पर निगरानी रखेंगे तथा समय – समय पर प्रभावी निरीक्षण करेंगे।
12. समस्त थोक विक्रेता परिवहन समानीकरण के लेखे प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13. उचित मूल्य दुकानों के सूचना पट्ट पर वितरण की जाने वाली सामग्री की मात्रा, दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय, प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक की पूर्ण सूचना प्रतिदिन प्रदर्शित की जावें।
14. उचित मूल्य दुकान पर आवंटन एवं वितरण सम्बन्धी रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही वितरित किये जा रहे खाद्यान्न का नमूना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए।
15. उचित मूल्य दुकानों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर दुकान परिसर में हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जावें। यह व्यवस्था कठोरता से लागू की जाये।
16. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों द्वारा उक्त आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावें। यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा अनियमितता करना पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर (रसद),
बाँसवाड़ा

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामलात् महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सांसद महोदय, बांसवाडा– डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाडा।
4. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, बांसवाडा।
5. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाडा / गढी / घाटोल / बागीदौरा / कुशलगढ।
6. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाडा / घाटोल / गढी / बागीदौरा / छोटी सरवन / कुशलगढ / सज्जनगढ / आनन्दपुरी।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
8. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा / घाटोल / गढी / बागीदौरा / कुशलगढ / सज्जनगढ / आनन्दपुरी / छोटी सरवन।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु।
10. उपनिदेशक सूचना प्राद्योगिकि एवं संचार विभाग बांसवाडा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
11. तहसीलदार, तहसील बाँसवाड़ा / छोटी सरवन / आम्बापुरा / घाटोल / गनोडा / गढी / बागीदौरा / आनन्दपुरी / गांगडतलाई / कुशलगढ / सज्जनगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा (मु. तलवाड़ा) / गढ़ी / घाटोल / बागीदौरा / आनन्दपुरी / सज्जनगढ़ / कुशलगढ / छोटी सरवन ।
13. क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम उदयपुर। / सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम बांसवाड़ा।
14. प्रर्वतन अधिकारी / निरीक्षक, बांसवाड़ा / घाटोल / गढ़ी / कुशलगढ़ / बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
15. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ / मुख्य व्यवस्थापक स.उ.थोक भण्ड़ार बांसवाड़ा / क्र.वि.स.स. बांसवाड़ा / परतापुर
17. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षक को पालनार्थ ।
18. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा।

जिला रसद अधिकारी,
बाँसवाड़ा